



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा)

क./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ.(वाणिज्य)/अ.अ.-II/2012/13/प्र. 5177 दिनांक: 4/3/13

आदेश

विषय:- ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों के लिए 4 माह के विजली के बिलों के भुगतान की राशि माफ करने बाबत।

राज्य सरकार ने इस वर्ष ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने हेतु दिनांक 17.02.2013 को निम्न सहायता पैकेज घोषित किया है। इस संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

1. लघु एवं सीमान्त कृषकों को जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, उनके चार बिलिंग माह नवम्बर 2012, दिसम्बर 2012, जनवरी 2013 एवं फरवरी 2013 के विद्युत बिलों की राशि माफ की जायेगी।
2. जिन काश्तकारों ने उक्त माहों के विद्युत बिलों की राशि जमा करवा दी है इस राशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जायेगा।
3. यह राहत पैकेज सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम सेवक की तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित उन कृषकों को भी दिया जा सकता है जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है किन्तु उन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है।

इस विषय में संबंधित अधिशाषी अभियन्ता (पवस), जिला कलेक्टर से संपर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर संबंधित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध कराएंगे। इस सूची के आधार पर ही संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा 4 माह के बिलों की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाए।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात् दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी (ATB) अजमेर डिस्कान, अजमेर को प्रेषित की जाये। मुख्य लेखाधिकारी (ATB) इस संबंध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु उर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेंगे, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

आज्ञा से,

(जी.आर. चौधरी)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

d./XEN-II/Comm1. Order hindi

22

XEN (II) / sh. sent

R.R No. 1571 Dt. 5/3/13

S.F (IT) A.V.V.N.L., Ajmer

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अपरपत्रक आर्पणार्थी हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य अभियन्ता (परिचय संशोधन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
2. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परिचय संशोधन) अजमेर डिस्कॉम, उदयपुर/झुंझार।
3. मुख्य संचालक अधिकारी (परिचय संशोधन) अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
4. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (परिचय संशोधन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर को अतिरिक्त प्रतिलिपिर्षी अधीनस्थ अधिकारियों को प्रेषण करने हेतु।
6. अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स/स्लान/एम.एन/आर.डी.पो.पी.सी./आई.टी.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर / उदयपुर / जयपुर।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
8. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
9. श्री पी.एन. भंडारी, आई.ए.एस. (रिटल), जयपुर।
10. श्री डी.एस. अग्रवाल, रुद्राक्ष एनर्जी, जयपुर।
11. डॉ. के. एल. जैन, सचिव, श्वदवतलक, जयपुर।
12. सचिव जनरल उपभोक्ता समिती एवं टस्ट सोसाइटी, जयपुर।
13. मुख्य विद्युत (जनरल) अभियन्ता, नार्थ वेस्ट रेल्वे, जयपुर।
14. राजस्थान विद्युत विकास संस्थान, जयपुर।
15. अधिशासी अभियन्ता, (), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
16. वरिष्ठ लेखाधिकारी, (), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
17. जन सन्धार्क अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
18. प्रभारी, विधि विभाग, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
19. प्रावधिक सहायक, प्रबंध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
20. निजी सहायक, अध्यक्ष डिस्कॉम, जयपुर।
21. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
22. निजी सहायक, निदेशक (वित्त/तकनीकी), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)